

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, खूँटी
(जिला भू-अर्जन शाखा)

पत्रांक:-08(i)

दिनांक:-01.02.2020

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम मुरुचकेल थाना- कर्रा थाना सं0 07 अंचल कर्रा जिला खूँटी** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **हटिया बंडामुण्डा रेलवे लाईन दोहरीकरण परियोजना हेतु Railway के लिए** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम मुरुचकेल थाना- कर्रा थाना सं0 07 अंचल कर्रा जिला खूँटी** के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोबेश 1.909 एकड़ यानि 0.772874494 हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

ग्राम मुरुचकेल थाना- कर्रा थाना सं0 07 अंचल कर्रा जिला खूँटी का विस्तृत विवरणी

क्र0सं0	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या) उ0,द0,पू0,प0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	445	टुनु पहान वल्द डिबरु पहान	दोन तीन	0.030	प्रेम कुमार आईन्द वा जोहन आईन्द वो हरदुगन मुण्डा पिता- स्व. टुनु पहान	उ0-सिवाना द0-444 पु0-444 प0-446
2	57	440	हरिहर सिंह	दोन दो	0.077	विजयनाथ सिंह वगैरह	उ0-441 द0-439 पु0-440 प0-453
3	1	453	---	---	0.119	---	उ0-444 द0-453 पु0-443 प0-452
4	57	441	हरिहर सिंह	दोन दो	0.025	विजयनाथ सिंह वगैरह	उ0-443 द0-440 पु0-441 प0-453
5	116	444	अलख नाथ सिंह	दोन दो	0.038	कमेशवर वो बुधु तेली महावीर तेली पेशरान मधु तेली	उ0-445 द0-453 पु0-444 प0-444
6	57	456	हरिहर सिंह	दोन दो	0.090	विजयनाथ सिंह वगैरह	उ0-454 द0-461 पु0-456 प0-455

7	71	394	सोमा मुण्डा पिता- कजरू मुण्डा	टाड़ दो	0.036	मार्टिन गुडिया पिता- याकुब गुडिया	उ०-394 द०-403 पु०-394 प०-394
8	57	395	हरिहर सिंह	दोन दो	0.001	विजयनाथ सिंह वगैरह	उ०-395 द०-401 पु०-395 प०-402
9	69	401	लक्ष्मीनाथ सिंह वो वीरगो सिंह पेशरान दुखन सिंह	दोन तीन	0.156	मुना कुमारी देवी पति स्व० भरत सिंह	उ०-395 द०-402 पु०-395 प०-402
10	69	402	लक्ष्मीनाथ सिंह वो वीरगो सिंह पेशरान दुखन सिंह	टाड़ दो	0.171	मुना कुमारी देवी पति स्व० भरत सिंह	उ०-401 द०-404 पु०-375 प०-403
11	62	403	डहरू मुण्डा पिता- सोमरा मुण्डा	टाड़ दो	0.023	जोनसन तोपनो पिता- स्व० हनुख तोपनो	उ०-394 द०-402 पु०-402 प०-403
12	58	404	हरिहर सिंह	टाड़ दो	0.300	विजयनाथ सिंह वो नन्दलाल सिंह पिता- स्व० भरत सिंह वो निलमबर सिंह पिता- स्व० रामु सिंह वगैरह	उ०-402 द०-576 पु०-375 प०-404
13	124	375	सोमा मुण्डा वो डहरू मुण्डा पिता- सोमरा मुण्डा	टाड़ दो	0.006	जोनसन तोपनो पिता- स्व० हनुख तोपनो	उ०-375 द०-404 पु०-375 प०-404
14	13	595	महावीर सिंह	टाड़ दो	0.229	जोनसन तोपनो पिता- स्व० हनुख तोपनो	उ०-576 द०-593 पु०-595 प०-607
15	52	607	काताना मुण्डा पिता- मुसा मण्डा	---	0.016	---	उ०-595 द०-595 पु०-595 प०-607
16	91	593	महेन्द्र सिंह	टाड़ दो	0.320	रामलखन सिंह पिता- बानेश्वर सिंह वो प्रदुमन सिंह पिता- स्व० महेन्द्र सिंह	उ०-595 द०-592 पु०-593 प०-593
17	57	439	हरिहर सिंह	दोन दो	0.045	विजयनाथ सिंह वगैरह	उ०-440 द०-454 पु०-439 प०-439

18	27	374	नारायण सिंह	टाड़ दो	0.011	थोमस तोपनो पिता- स्व0 डिम्बु तोपनो	उ0-375 द0-576 पु0-374 प0-404
19	122	592	मुसा मुण्डा पिता- दानियल मुण्डा	टाड़ दो	0.027	वर्तमान रैया का नाम पता नही चला	उ0-593 द0-585 पु0-593 प0-592
20	96	585	मुसा मुण्डा पिता- दानियल मुण्डा	टाड़ दो	0.053	वर्तमान रैया का नाम पता नही चला	उ0-522 द0-586 पु0-585 प0-585
21	91	461	महेन्द्र सिंह	टाड़ तीन	0.065	कृष्णा सिंह वगैरह	उ0-456 द0-415 पु0-456 प0-461
22	57	454	हरिहर सिंह	दोन दो	0.071	विजय नाथ सिंह वगैरह	उ0-439 द0-455 पु0-454 प0-454
				कुल	1.909		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/ नक्शा का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते हैं।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


 उपायुक्त,
 खूँटी।